



502

टांक  
जिला मजिस्ट्रेट  
[Signature]

सीमाएं पूर्व में मनमर पत्नी रामराज बैरवा का मकान, पहियम में आम रास्ता, उत्तर में  
मालपुरा जिला टांक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 287.77 वर्गज है व जिसकी  
सम्पत्ति/भूखुद पट्टा संख्या 23, वाकें आम लोकिया, ग्राम पंचायत मोरला, तहसील  
सुविधा के एवज में बंधक सम्पत्ति, ग्राम देवी के स्वामित्व व अधिपत्य की एक  
करायी गया था व अप्रार्थी/अभियाँ, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त अण की  
को कुल 10,10,000/रुपये (अधरे दस लाख दस हजार रुपये मात्र) का अण उपलब्ध  
कम्पनी से अण खाला संख्या RJ/TNK/TDSH/A00000019 से दिनांक 06.09.2023  
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता अण/सहअण/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण,  
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 The  
दिनांक 04.02.2026

आदेश

अर्सेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002  
प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्युरिटीइंजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल  
अण/सहअण/जमानती

1. ग्राम बैरवा पत्नी रतना बैरवा (अण व बंधककर्ता) पता-ग्राम लोकिया, ग्राम पंचायत  
मोरला, तहसील मालपुरा, जिला टांक, राजस्थान 304503
2. अमर चन्द बैरवा पुत्र रतना बैरवा (सहअण) पता-ग्राम लोकिया, ग्राम पंचायत मोरला,  
तहसील मालपुरा, जिला टांक, राजस्थान 304503
3. रतना बैरवा पुत्र रामकरण (सहअण) पता-ग्राम लोकिया, ग्राम पंचायत मोरला,  
तहसील मालपुरा, जिला टांक, राजस्थान 304503

बनाम

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

दिलीप सिंह यादव  
टॉवर एक-1 आंध्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर 302021 जसिं प्रोडिक्ट अधिकासी  
एस्टेट गार्डेन्डी चैन्ड-600032 एवं शाखा कार्यालय दिल्ली तल 212,213,214 एवरसाइड  
हिन्दुवा हाकरिमा फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 27 ए-डबलए इन्स्ट्रुमेंटल

15.01.2026  
03/2026

प्रतिष्ठित दिनांक  
प्रकरण संख्या

(पीठस्थीन अधिकासी कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टांक



(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and District Magistrate shall, on such request being made to him-

thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the documents relating thereto may be situated of found- to take possession the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

रूप में प्राप्त है, जो इस प्रकार है।  
2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाने बाबत Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act की नीति पर आधारित करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and किया जाने व लालिब के परचाल धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः प्रार्थी दिनांक 04.10.2016 के अर्जुनार प्रार्थी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नीति पर आधारित निर्णय 6256/2016 परकर्मकार व अन्य वनाम जिला मजिस्ट्रेट उद्देश्य व अन्य, से पारित निर्णय न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या करने के परचाल भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीति पर आधारित प्रभावशील एवं प्रसृत दरतावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रलिस इमदाद सम्भालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रसृत किया गया है।  
देश राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहन शर्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जायिद Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / बावर्द प्रार्थी द्वारा प्रार्थी मय ब्याज चुकाने में बैंक की गई है। प्रार्थी द्वारा बन्धक को रजिस्टर्ड डाक नीति पर जायिद किया जाने तथा सम्भार पत्र में प्रकाशित करवाया जाने के उक्त प्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके अंगों का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। 9,85,067 / (अक्षर नौ लाख पचासी हजार सत्सठ रुपये मात्र) दिनांक 08.09.2025 को एन.पी.ए. धारित कर दिया गया व अप्रार्थी/अर्जुनार के अणु खाता में बकाया राशि की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.09.2025 स्थित है। अप्रार्थी/अर्जुनार ने उपलब्ध अणु को, बैंक के साथ किया गया अर्जुनार केसरा पुत्र रामा बैरवा का मकान तथा दक्षिण में रामधन पुत्र रामकरण बैरवा का मकान

जिला मजिस्ट्रेट  
मीरठ



का  
क  
(क  
)

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.  
 (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र प्रेषित किया कि नियमों के अनुसार समस्त कर्तव्यही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वयंन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा यह न्यायालय की प्रार्थना को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं :

1. यह न्यायालय की सम्मति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कर्तव्य से करावे।  
 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पक्ष दरतावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रवाधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी/कम्पनी का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार मालपुरा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थना पक्ष से यह न्यायालय की दी शिफारिश/रिपोर्ट/वेबसाइट एवं शीकन्सर्टकेशन ऑफ फाईनलियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसेडर एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थना को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि यह न्यायालय की सम्मति के संबंध में किसी संक्षम न्यायालय का स्वयंन आदेश न हो। यह न्यायालय की सम्मति को कब्जे में लेते वक्त कर्तव्य न्यायालय बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टांक को पर्याप्त पुलिस जाता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवावे जावे। उक्त सम्मति का कब्जा दिये हेतु आधिकारियों/कर्मचारियों के वतनमती व सुनिश्चित व्यवस्था आदि का सुनिश्चित निश्चय में देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

आदेश आज दिनांक 04.02.2026 को खले न्यायालय से सुनाया गया।